



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082020-221420
CG-DL-E-28082020-221420

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2597]
No. 2597]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2020/भाद्र 6, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2020/BHADRA 6, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त 2020

का.आ. 2928(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965G के 0.000 कि.मी. से 32/900 कि. मी. तक बारामती के लिए आंशिक बाईपास 0.000 किमी से 20/ किमी के भूखंड के संबंध में देहु पालखी मार्ग के पाटस वासुंदे फाटा, बारामती (बाईपास) के निकट रारा ६५ से अपने जंक्शन से आरम्भ होते हुए राजमार्ग के ४ लेन विन्यास में पुनरुद्धार और उन्नयन हेतु लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने का अपने आशय की घोषणा की थी।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् Sub-डिविशनल अफसर बारामती को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 965G के 0.000 कि.मी. से 32/900 कि. मी. तक बारामती के लिए आंशिक बाईपास ०/००० किमी से २०/ किमी के भूखंड के संबंध में देहु पालखी मार्ग के पाटस वासुंदे फाटा, बारामती (बाईपास) के निकट रारा ६५ से अपने जंक्शन से आरम्भ होते हुए राजमार्ग के ४ लेन विन्यास में पुनरुद्धार और उन्नयन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बारामती					
गांव का नाम: कन्हेरी					
1	160	निजी(खाजगी)	एग्रीकल्चर	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
2	187	निजी(खाजगी)	एग्रीकल्चर	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
3	255	निजी	एग्रीकल्चर	1.0000000(हेक्टेयर)	1.0000000
4	266	निजी	एग्रीकल्चर	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
5	267	निजी	एग्रीकल्चर	1.5000000(हेक्टेयर)	1.5000000

6	268	निजी	एग्रीकल्चर	1.5000000(हेक्टेयर)	1.5000000
गांव का नाम: खरादे वाड़ी					
1	190	निजी	एग्रीकल्चर	0.6700000(हेक्टेयर)	0.6700000
2	279	निजी	एग्रीकल्चर	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
गांव का नाम: उण्डवाड़ी कडे पत्थर					
1	53	निजी(खाजगी)	एग्रीकल्चर	0.4200000(हेक्टेयर)	0.4200000
गांव का नाम: उण्डवादीसुपे					
1	115	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.5500000(हेक्टेयर)	0.5500000
2	64	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.3300000(हेक्टेयर)	0.3300000
3	7	निजी	एग्रीकल्चर	0.1400000(हेक्टेयर)	0.1400000
4	गवथान	सरकारी	एग्रीकल्चर	0.0900000(हेक्टेयर)	0.0900000
तालुक का नाम: दौड़					
गांव का नाम: रोटी					
1	180	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.5800000(हेक्टेयर)	0.5800000
2	20	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.1700000(हेक्टेयर)	1.1700000
3	248	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
4	252	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
5	253	निजी	एग्रीकल्चर	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
6	गवथान	सरकारी(गव्हर्मेण्ट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.3250000(हेक्टेयर)	0.3250000
कुल				9.1650	9.1650

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/Baramati-Phaltan/04697/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2020

S.O. 2928(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Rehabilitation & Upgrading to four laning configuration of Dehu Palkhi Marg on the Stretch of land from Km. 0/000 to 32/900 and Partial Bypass for Baramati Km. 0/000 to 20/000 of National

Highway No. 965G and starting from its junction NH65 near Patas, Wasunde Phata, Baramati Bypass in the District of Pune of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer, Baramati in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for Rehabilitation & Upgrading to four laning configuration of Dehu Palkhi Marg on the Stretch of land from Km. 0/000 to 32/900 and Partial Bypass for Baramati Km. 0/000 to 20/000 of National Highway No. 965G and starting from its junction NH65 near Patas, Wasunde Phata, Baramati Bypass in the District of Pune of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Baramati					
Village: Kanheri					
1	160	Private	Agriculture	0.1800000(Hectare)	0.1800000
2	187	Private	Agriculture	0.1900000(Hectare)	0.1900000
3	255	Private	Agriculture	1.0000000(Hectare)	1.0000000
4	266	Private	Agriculture	0.1200000(Hectare)	0.1200000
5	267	Private	Agriculture	1.5000000(Hectare)	1.5000000
6	268	Private	Agriculture	1.5000000(Hectare)	1.5000000
Village: Kharade Wadi					
1	190	Private	Agriculture	0.6700000(Hectare)	0.6700000
2	279	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Village: Undavadi Kade Pathar					
1	53	Private	Agriculture	0.4200000(Hectare)	0.4200000
Village: Undavadisupe					
1	115	Government	Non Agriculture	0.5500000(Hectare)	0.5500000
2	64	Government	Non Agriculture	0.3300000(Hectare)	0.3300000
3	7	Private	Agriculture	0.1400000(Hectare)	0.1400000
4	Gavthan	Government	Agriculture	0.0900000(Hectare)	0.0900000

Taluk: Daund					
Village: Roti					
1	180	Government	Non Agriculture	0.5800000(Hectare)	0.5800000
2	20	Government	Non Agriculture	1.1700000(Hectare)	1.1700000
3	248	Government	Non agriculture	0.1600000(Hectare)	0.1600000
4	252	Government	Non Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
5	253	Private	Agriculture	0.1700000(Hectare)	0.1700000
6	Gavthan	Government	Non Agriculture	0.3250000(Hectare)	0.3250000
Total				9.1650	9.1650

[F. No. NHAI/PIU/PUNE/Baramati-Phaltan/04697/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.